संख्या-135/2017/आर-2364/26-3-2017-4(27)/2013

प्रेषक,

कामता प्रसाद,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 01 सितम्बर 2017

विषयः- रिट याचिका संख्या-9196/2017 प्रमोद महाविद्यालय, महरारा, हाथरस बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-01.03.2017 एवं अवमानना याचिका संख्या-2739/2017 में पारित आदेश दिनांक-06.07.2017 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय समाज कल्याण के पत्रांक-936/सक/शिक्षा-अ/01/247/2017-18, दिनांक-18.05.2017, एवं पत्रांक-2590//स.क./शिक्षा-अ/01/247/2017-18 दिनांक-10.08.2017 द्वारा उपलब्ध करायी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त उक्त याचिका/अवमानना याचिका में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-01.03.2017/06.07.2017 के अनुपालन में याची शिक्षण संस्था में वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 में बी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेशित/अध्ययन प्राप्त अनुसूचित जाति के पात्र पाये गये कुल 79 छात्रो (वर्ष 2011-12 के 37 छात्र एवं वर्ष 2012-13 के 42 छात्र) की दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की देय पायी गयी धनराशि कुल रूपया-42,23,688.00 (रूपया बयालिस लाख तेईस हजार छः सौ अट्ठासी मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 की अनुदान संख्या-83 की सुसंगत लेखाशीर्षक में योजनान्तर्गत निर्गत वित्तीय स्वीकृति से भुगतान की अनुमति प्रदान की जाती है।

2- उक्त आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक-03.08.2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन निर्गत की जा रही है।

भवदीय
कामता प्रसाद
अनुसचिव

पृ0संख्या-135/2017/आर-2364(1)/26-3-2017 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- मुख्य स्थाई अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0,इलाहाबाद।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, हाथरस।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- जिला समाज कल्याण अधिकारी, हाथरस।

6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1(दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कामता प्रसाद
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।